

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-544 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

जोहन तिडू.....आवेदक / विक्रेता

सिबलन तिर्की.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

02.03.2024

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

## आदेश

आवेदक श्री जोहन तिडू पिता स्व० मसीह तिडू ग्राम-पेलौल, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-

### भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
बिचना	262	88	2139	0.16

आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री जोहन तिडू पिता स्व० मसीह तिडू ग्राम-पेलौल, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को मकान निर्माण कराने हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्रीमती सिबलन तिर्की पति विलियम तिर्की ग्राम-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद सं० 0762088126 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 87 दिनांक 16.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम बुधुवा



मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पोता हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 175 पर जमावंदी दर्ज है।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 266 दिनांक 23.11.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2023/397131 दिनांक 27.01.2024 वॉ अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2024/59738 दिनांक 06.02.2024 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 87 दिनांक 16.02.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक श्री जोहन तिडू पिता स्व० मसीह तिडू ग्राम-पेलौल, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को क्रेता श्रीमती सिबलन तिर्की पति विलियम तिर्की ग्राम-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के साथ ग्राम बिचना के खाता सं० 88, खेसरा संख्या 2139, कुल रकबा 0.16 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।